बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग
कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक– 05 अप्रील, 2016

सं0–63/सी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–955, दिनांक–20.01.2016 द्वारा संविदा पर प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर श्री समीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को नियोजित करते हुए गृह (विशेष) विभाग में पदस्थापित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में श्री सिंह द्वारा विभाग में दिनांक–21.01.2016 को योगदान दिया गया। विभागीय आदेश ज्ञापांक–990, दिनांक–21.02.2016 द्वारा दिनांक–21.01.2016 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत करते हुए प्रशाखा 'ए0' में पदस्थापित किया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–6(1) में निहित प्रावधान के अनुसार संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद शेष राशि देय होगी।

3. उक्त प्रावधान के तहत श्री सिंह को अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि रू0 29,830+35,490=65,328/–(पैसठ हजार तीन सौ अठ्ाईस रूपये) मात्र में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर महँगाई राहत की राशि रू0 14,915+17,749=32,664/–(बतीस हजार छः सौ चौसठ रूपये) मात्र घटाने पर शेष बची राशि रू0 32,664/–(बतीस हजार छः सौ चौसठ रूपये) मात्र संविदा का मानदेय प्रतिमाह देय होगा।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(राजभूषण प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–स्था0/सा0–01–05/2016– पटना, दिनांक– अप्रील, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–स्था0/सा0–01–05/2016–3361 पटना, दिनांक–05 अप्रील, 2016

प्रतिलिपि :– श्री समीर कुमार सिंह, से0नि0 प्रशाखा पदाधिकारी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना।
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
लेखा शाखा, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना। (दो प्रतियों में)
आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना।
दफ्तरी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.4.16
सरकार के अवर सचिव

5/4